राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–1404/2015/जयपुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट–द्वितीय, आबूरोड़ .....अपीलार्थी

बनाम्

मैसर्स आर.एस.इन्फ्रा–ट्रांसमिशन लि0,
ए–241–242,रोड़ नं0–6 डी,वी.के.आई.एरिया, जयपुर .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री नत्थूराम,सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर.के.अजमेरा, ...अपीलार्थी की ओर
उप राजकीय अभिभाषक से
श्री विवेक सिंघल,
अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांकः–11.01.2018

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी तृतीय, वाणिज्यिक कर जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 472/अ. प्रा. III/आरवीएटी/ जयपुर/ई/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 12.01.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होनें सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–द्वितीय, आबूरोड़(जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.11.2013 अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम,2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 76(6) के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि जांच अधिकारी सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,घट–प्रथम,प्रतिकरापवंचन,आबूरोड़ द्वारा दिनांक 27.11.2013 को वाहन संख्या जीजे– 1सीवी–1951 को गांधीनगर गुजरात से जयपुर के लिए माल परिवहनित करते हुए माडल (आबूरोड़) पर रोक कर चैक किया गया। वक्त जांच माल प्रभरी एवं वाहन चालक एवं माल प्रभारी श्री पप्पू ने वाहन में परिवहनित माल एम.एस.एंगल(आयरन स्टील) से संबंधित बिल,बिल्टी आदि दस्तावेज पेश किये गये किन्तु घोषणा पत्र वेट–47 माल के साथ नहीं हाने के कारण वक्त जांच पेश करने में असमर्थता जाहिर की। माल बिना घोषणा पत्र वेट–47 के गांधीनगर(गुजरात) से जयपुर(राजस्थान) के लिए परिवहनित किया जाना पाया गया, जबकि कर योग्य माल एवं अधिसूचित माल के आयात पर वेट–47 होना आवश्यक है। जांच अधिकारी ने उक्त कृत्य को अधिनियम की धारा 76(2),79 की अवहेलना के कारण वाहन मय माल को निरूद्ध किया गया एवं कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में किसी के उपस्थित नहीं होने पर अधिनियम की धारा 76(6) के अन्तर्गत अभियोग दर्ज कर, उपायुक्त (प्रशासन) वा.क.पाली के निर्देशानुसार प्रकरण को अग्रिम कार्यवाही हेतु सशक्त अधिकारी को स्थानान्तरित किया। सशक्त अधिकारी ने अधिनियम की धारा 76(2)(बी) का उल्लंघन मानते हुए, प्रत्यर्थी व्यवहारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी व्यवहारी के जवाब से असंतुष्ट होकर आदेश दिनांक 28.11.2013 के द्वारा परिवहनित माल कीमतन रू0 12,60,734/– पर 30 प्रतिशत से शास्ति रुपये 3,78,220/– प्रत्यर्थी व्यवहारी के विरूद्ध आरोपित की। सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध, प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत

लगातार.....2

करने पर, अपीलीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 12.01.2015 द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार करते हुए, आरोपित शास्ति को अपास्त कर दिया। अपीलीय अधिकारी के उक्त के विरूद्ध, अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

3. अपीलार्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपीलीय अधिकारी के आदेश को विधिविरूद्ध बताया तथा सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए, अपीलार्थी–विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

4. प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उक्त माल मैसर्स कल्पतरू ट्रांसमिशन लि0 गांधीनगर को अंतर्राज्यीय व्यापार के तहत विक्रय किया था। क्रेता द्वारा माल को रिजेक्ट/बेकरी कर दिया एवं यह माल रिजेक्ट होने के बाद प्रयर्थी के पास आ रहा था। माल की बिक्री व रिजेक्शन के चालान व बिल्टी आदि संपूर्ण कागजात परिवहन के समय उपलब्ध थे। नियम 53 के अनुसार चूंकि माल रिजेक्ट होकर वापिस आ रहा था जिसमें घोषणा पत्र वेट–47 की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि सशक्त अधिकारी के समक्ष व्यापारी द्वारा वेट–47 नं0 3318106 जवाब के साथ प्रस्तुत कर दिया था। नियम 53 के अनुसार चूंकि घोषणा पत्र वेट–47 की आवश्यकता नहीं थी। अपने तर्क के समर्थन में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम डी0पी0 मेटल 124 एसटीसी 611 एवं माननीय राजस्थान कर बोर्ड का निर्णय मैसर्स सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम हाईटेक गियर्स लि0 35 आरटीजेएस का हवाला दिया जिसमें यह अभिनिर्धारित किया है कि जवाब के साथ में घोषणा पत्र प्रस्तुत कर दिया जाता है तो शास्ति आरोपित नहीं की जा सकती। उनका निवेदन था कि विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया जावे।

5. उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का परिशीलन किया गया एवं उद्धरित निणयों का अध्ययन किया गया। रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवहनित माल एम.एस.एंगल(आईरन एण्ड स्टील) बिना घोषणा पत्र वेट–47 के परिवहनित किया गया था रेकार्ड के परिशीलन से यह तथ्य विदित है कि व्यापारी द्वारा मैसर्स कल्पतरू पावर ट्रांसमिशन लि0 गांधीनगर को अन्तर्राज्यीय विक्रय के क्रम में उक्त माल बेचा गया था जिसके कि इनवॉईस रेकार्ड पर उपलब्ध है एवं उक्त माल क्रेता द्वारा चालान नं0 1999 दिनांक 26.11.2013 के साथ में व वापिस रिजेक्ट होने के कारण भेजा जा रहा था। क्रेता द्वारा यह माल रिजेक्ट किया गया था तो वेट–47 की आवश्यकता नहीं बनती है। माननीय राजस्थान कर बोर्ड के निर्णय सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम हाईटेक गियर्स लि0 35 आरटीजेएस 268 में भी समान तथ्यों पर द्वारा यह अभिनिर्धारित किया है कि –

".....Under the provisions of Rule 54 of RST Rules, 199, declaration ST 18C is required to be furnished only when the goods taxable within the State are dispatched for sale outside the State. Since, in the instant case, the documents furnished at the time of checking clearly reveals that the rejecuted mataerial was being returned back to its supplier, there was no requirement for furnishing declaration ST 18C in respect thereof. Therefore, lerned AA seems to have gone wrong while levying penalty u/s 78(5) of the Act merely on the basis of non availability of ST 18C which, too, was submitted by the respondants along with their reply to the show cause notice. In these circumstances, I find it difficult to support the order of penalty passed by the learned AA ....."

अतः उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त एवं माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के प्रकाश में आरोपित शास्ति अपास्त होने योग्य है। उपरोक्त आधार पर सशक्त अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त करने में कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं की है।

लगातार.....3

6. फलतः अपीलार्थी–विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(नत्थूराम)
सदस्य